

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 19.12.2020

शांतिभंग की आशंका के महेनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के महेनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-23 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151 / 107 / 116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—

01. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. लकी पुत्र शिवपाल निः 0 दुर्गागंज माझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु030सं0-514 / 20, 02. जग्गी लाल पुत्र भद्र निषाद निः 0 लोलपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 40 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु030सं0-515 / 20, धारा 60 आबकारी अधिः 0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना खोड़ारे द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सरजू प्रसाद पुत्र भगेलू निः 0 केशवनगर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु030सं0-316 / 20, धारा 60 आबकारी अधिः 0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. श्रीमती अनारपता पत्नी राम सागर निः 0 चिड़ियापुर थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु030सं0-508 / 20, धारा 60 आबकारी अधिः 0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. वकील पुत्र बुद्ध निः 0 नई बाजार कटरा रोड थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु030सं0-523 / 20, धारा 60 आबकारी अधिः 0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. नीवर पुत्र सतीराम निः 0 भानपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु030सं0-422 / 20, 02. विजय कुमार चौहान पुत्र स्व० भगवती चौहान निः 0 चारगाह थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु030सं0-423 / 20, धारा 60 आबकारी अधिः 0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

अवैध मादक पदार्थ के साथ, 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. दिनेश कुमार पुत्र केशव प्रसाद निं० मुण्डेरवा माफी थाना इटियाथोक जनपद गोणडा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-४५३ /२०, धारा ८ /२२ एन०डी०पी०एस० एकट थाना इटियाथोक जनपद गोणडा।

बरामदगी—

01. 250 अल्प्रासेफ टेबलेट।

संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 19.12.2020 को थाना इटियाथोक के उ०नि० सत्यनारायण मय हमराह के साथ क्षेत्रभ्रमण में रवाना थे कि मुख्खियर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को जगदीशपुर वृन्दावन नहर पुलिया से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 250 अल्प्रासेफ की टेबलेट बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना इटियाथोक में एन०डी०पी०एस० एकट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० सत्यनारायण यादव।
02. हेड का० शम्भू तिवारी।
03. का० कुशहर यादव।
04. का० अर्जुन मद्देशिया।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोणडा दिनांक 19.12.2020

अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. नीरज यादव पुत्र आज्ञाराम यादव निं० भीतहरवा मौजा इटवा जनपद बलरामपुर।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-४०९ /२०, धारा ३ /२५ आर्म्स एकट थाना वजीरगंज जनपद गोणडा।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।

संक्षिप्त विवरण—

जनपद गोणडा मे अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान मे अवैध शस्त्र रखने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक गोणडा श्री शैलेश कुमार पाण्डेय ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

दिनांक 18.12.2020 को थाना वजीरगंज के उ०नि० श्याम सुन्दर शर्मा मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि चनहा मोड़ के पास उक्त व्यक्ति को संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर रोक टोक कर चेक किया गया तो अभियुक्त के

कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्त को थाना वजीरगंज में आम्स्र एकट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० श्याम सुन्दर शर्मा।
02. है०का० विजय सिंह।
03. का० विमलेन्द्र प्रताप यादव।
04. का० पंकज यादव।